न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 29 / 2019

उनवान

1. करमवीर सिंह पुत्र सोहनलाल, जाति जाट नि0 भटियानी, नसीराबाद

—— अपीलांट :— जरियें अधिवक्ता श्री राजेश सुकरिया

बनाम

1. रामावतार,
2. कैलाशचन्द,
3. हवा सिंह,
4. ओमवती उर्फ लाली पि. हरनारायण जाति जाट नि. नारनौल महेन्द्रगढ हरियाणा,
5. सरपंच ग्राम पंचायत भटियानी, नसीराबाद
6.. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— रेस्पोडेन्टस :— 2 से 5 अनुपस्थित
1 जरियें अधिवक्ता श्री सुभाष निम्बावत
6 जरियें राज0 पेरोकार

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू रा. अधि. 1956 विरूद्व निर्णय ग्राम पंचायत भटियानी दिनांक 05.02.2019 नामान्तरकरण संख्या 1325

दिनांक :— 24.5.22

—: आदेश :—

अधिवक्ता अपीलांट ने उक्त अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भटियानी के हाल खसरा नम्बर 2858, 2736, 2737 / 4444, 2787 / 4656, 2843, 2850 / 4749, 2853 / 4459, 2855 / 4460, 2857 / 4456, 2867 / 4745, 2733, 2737, 2738, 2786, 2787, 2789, 2825 / 4461, 2844, 2850 / 4458, 2853, 2854, 2855, 2856 व 2857 की आराजी हरनारायण पुत्र फूलाराम की खातेदारी की है। समझौता दिनांक 22.02.2007 के अनुसार हरनारायण व उसकी सगी बहिन रामबाई की सयुंक्त खातेदारी भूमि हरियाणा में भी स्थित है। भटियानी स्थित आराजी रामबाई के पति सोहनलाल द्वारा कय कर हरनारायण के नाम दर्ज करवा दी तथा भटियाणी की भूमि रामबाई के नाम व हरियाण स्थित आराजी हरनारायण के नाम रखी गयी। हाजा न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 75 / 15 उम्मेद सिंह बनाम सूबे सिंह भी विचाराधीन है। दिनांक 05.04. 213 को हरनारायण का स्वर्गवास होने पर रामावतार पुत्र हरनारायण द्वारा तहसीलदार नसीराबाद के समक्ष प्रार्थना पत्र 3 / 2015 पेश कर भटियानी स्थित आराजी की विरासत हेतु निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर वर्तमान अपीलांट द्वारा आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि [illegible] ग्राम भटियानी की आराजी रामबाई के हिस्से में आयी है। अतः रामावतार का प्रार्थना पत्र [illegible] जावे। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा 14.07.2017 द्वारा आदेश प्रदान किया कि [illegible] वाद में पारित [illegible] द्वारा ही पक्षकार के हित निर्धारित होगे। जिसकी अपील रामावतार द्वारा संभागीय आयुक्त [illegible] के समक्ष पेश की जो विचाराधीन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:37:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

[illegible]जूद ग्राम पंचायत भटियानी द्वारा दिनांक 5.2.19 को हरलाल के वारिसान के नाम नामान्तकरण [illegible] 1325 तस्दीक कर दिया जो उपरोक्त तथ्यअनुसार त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत [illegible]यानी द्वारा तस्दीक उक्त नामान्तरकरण गैर कानूनी होने से निरस्त योग्य है। अतः उक्त नामान्तरकरण [illegible] किया जावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 5 प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

रेस्पोडेन्ट 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य पूर्व में हाजा न्यायालय में विचाराधीन वाद उम्मेद सिंह बनाम सुबे सिंह वादीगण द्वारा साक्ष्य वादी आरम्भ होने से पूर्व ही विड्रो कर लिया है। अपीलांट द्वारा जिस नामान्तकरण की अपील की बात कही है वह मूलतः वसीयत के नामान्तकरण से सबंधित है। विरासत को लेकर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार अपीलांट कोन नही है। हाजा न्यायालयमें पूर्व में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 75/2015 में अपीलांट ने हरनारायण पुत्र फूलाराम के वारिसों को पक्षकार बनाया है। ग्राम पंचसयत द्वारा विधि अनुसार नामान्तकरण की कार्यवाही की है। अतः अपील सव्यय खारिज की जावे।

वहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण के तर्को पर मनन किया। आराजी मुतनाजा राजस्व अभिलेख में हरनारायण पुत्र फूलाराम के नाम व अन्य व्यक्तियों की सहखातेदारी में र्ज थी। हरनारायण की मृत्यु हो गयी है जिसके विधिक वारिसों के नाम नामान्तकरण संख्या 1325 दिनांक 05.0.22019 द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण तस्दीक किया गया। अपीजलांट का कथन है कि हाजान्यायालय में वाद विचाराधीन रहते उक्त नामान्तकरण की कार्यवाही की गयी है। किन्तु उक्त वाद विड्रो कर लिया गया है। संभागीय आयुक्त महोदय के समक्ष विचाराधीन अपील वसीयत के तथ्यों बाबत है। उक्त नामान्तजकरण द्वारा मात्र हरनारायण के वारिसों के नाम नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। हरनारायण के विधिक वारिसान द्वारा उक्त नामान्तकरण के बाबत कोई आपत्ति नही की है। हाजा न्यायालय में पूर्व में विचाराधीन वाद भ्ज्ञी वादी द्वारा हरनारायण के वारिसों को पक्षकार मुर्तिब किया था। अपीलांट व हरनारायण के मध्य आराजी मुतनाजा के सवंध में भूमि को लेकर, वाद हाजा न्यायालय में वर्तमान में विचाराधीन नही है। ना ही उक्त नामानतकरण तस्दीक दिनांक को कोई स्थगन आदेश किसी न्यायालय द्वारा पारित किया गया था। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा पारित आदेश हरनारायण की वसीयत के सम्बन्ध में था जबकि प्रस्तुत प्रकरण नामान्तकरण संख्या 1325 के बाबत है। ग्राम भटियानी स्थित आराजी रामबाई के हिस्से में आने के कोई दस्तावेज अपीलांट द्वरा पेश नही किये गये है। उक्त नामान्तकरण तस्दीक कर के ग्राम पंचायत भटियानी द्वारा कोई विधिक त्रुटी नही की है। अपीलांट अपनी अपील के तथ्यों को सिद्व करने मे असफल रहे है। अत अपील अपीलांट खारिज की जाती है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज दिनांक २५.५.२१ को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:37:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद